भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3061

जिसका उत्तर 18.12.2025 को दिया जाना है

धुले-पिंपलगांव एनएचएआई परियोजना में अनियमितताएं

†3061. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 (एनएच-3) के धुले-पिंपलगांव (265 किमी - 380 किमी) खंड के लिए मौजूदा 2 लेन के कैरिजवे को 4/6 लेन के विभाजित कैरिजवे विन्यास में चौड़ा करने संबंधी परियोजना में रियायतग्राही द्वारा रियायत समझौते के कई उल्लंघनों का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि सभी परियोजना नवीकरण (पीआर) चक्र निर्धारित समय-सीमा से 18 महीने से अधिक समय के पश्चात् किए गए थे और चौथे पीआर चक्र को सरकारी राजकोष को नुकसान होने के कारण रद्द कर दिया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त परियोजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा रियायत समझौते को लागू करने में लापरवाही और विफलता का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस मुद्दे की समीक्षा करने के लिए कोई जांच शुरू की है और यदि हां, तो निष्कर्षों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को इसके लिए किसी संसद सदस्य से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) एनएच-3 के धुले-पिंपलगांव खंड को बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) मोड पर वर्ष 2010 में पूरा किया गया था। वर्तमान में परियोजना परिचालन और रखरखाव (ओएंडएम) चरण में है और बीओटी रियायत अवधि अप्रैल 2026 तक है। निर्माण चरण के दौरान रियायत करार का कोई उल्लंघन नहीं देखा गया है। तथापि, ओ एंड एम चरण के दौरान, रियायतग्राही ने आवधिक नवीनीकरण (पीआर) ओवरले और विभिन्न ओ एंड एम कार्यकलापों में चूक की थी।

(ख) से (घ) इसके चूक/अप्रत्याशित की घटना के कारण रियायतग्राही द्वारा पीआर शुरू करने में देरी हुई है। रियायतग्राही के कारण 1 नवीकरणीय चक्र में देरी हुई। कोविड-19 महामारी के कारण दूसरे पीआर चक्र में देरी हुई और इसके परिणामस्वरूप पीआर के तीसरे चक्र में देरी हुई है। अब तक रियायतग्राही पर 23.73 करोड़ रुपये की आरोपित राशि लगाई गई है। तीसरा पीआर प्रगति पर है और इस चक्र में देरी के लिए नुकसान इसके पूरा होने के बाद निर्धारित किया जाएगा। पीआर के चौथे चक्र के संबंध में, एनएचएआई द्वारा एस्क्रो खाते में 4 वें चक्र के लिए राशि बरकरार रखी गई है।

(ड.) और (च) जी, हाँ। धुले-पिंपलगांव खंड के आवधिक नवीनीकरण, वृक्षारोपण आदि शुरू करने में देरी के संबंध में धुले लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के माननीय संसद सदस्य (एमपी) से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। माननीय संसद सदस्य को एनएचएआई के दिनांक 27.03.2025 और 30.06.2025 के पत्र के माध्यम से उपरोक्त चूक के लिए रियायतग्राही के विरूद्ध कृत्त कार्रवाई और कार्यों की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया गया है।

*****